Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 20/08/2021

Certificate No. H0T2021H361

GRN No. 80859475

Stamp Duty Paid : ₹ 101
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Divyang eakadhikar punerwas Trust

H.No/Floor : 32 Sector/Ward : 0 LandMark : Azad nagar

City/Village : Hisar District : Hisar State : Haryana

Phone: 92******01

8202
23/8/21

Buyer / Second Party Detail

Name : X

H.No/Floor : X Sector/Ward : X LandMark : X

City/Village: X District : X State : X

Phone : 92******01

Purpose : TRUST DEED

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

SUB REGISTRAR HISAR

SUB REGISTRAR HISAR

ट्रस्ट डीड/न्यास प्रलेख

मालयति 5100/— रुपये

स्टाम्प 100/— रुपये

यह सार्वजनिक दिव्यांग हितैषी धर्मार्थ ट्रस्ट डीड/न्यास प्रलेख आज दिनांक 23 अगस्त 2021 को ट्रस्टीयों/पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित एवं हस्ताक्षरित किया जाता है।

हम ट्रस्टीयों/पदाधिकारियों दिव्यांग मानव मात्र की सेवा, उत्थान, विकास, शिक्षण, व्यवसाय एंव पुनर्वास आदि के लिए मन में भाव रखते है इसी उदेश्य को ध्यान मे रखते हुए हम ट्रस्टीयों/पदाधिकारियों ने **5100/—रूपये** से इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। यह ट्रस्ट आने वाले समय में दिव्यांगों हेतू समाज कल्याण के कार्यो को बढ़ावा देने में पूरी लग्न एवं निष्ठा से कार्य करेगा। इस ट्रस्ट के मार्गदर्शन के रूप में निम्नलिखित निर्देशिकाएं होंगी:—

1. ट्रस्ट का नाम : दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट

(1) [signature] (2) Mohinder Singh (3) [signature] (4) [signature]

प्रलेख न:8202

दिनांक:23-08-2021

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/सब-तहसील	हिसार
गांव/शहर	हिसार

धन सबंधी विवरण		
राशि 101 रुपये		स्टाम्प ड्यूटी की राशि 100 रुपये
स्टाम्प नं : h0t2021h361	स्टाम्प की राशि 101 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50 रुपये	EChallan:81022956	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By:		Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनाक 23-08-2021 दिन सोमवार समय 5:35:00 PM बजे श्री/श्रीमती /कुमारी दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्टthru सन्जू वर्माOTHER पुत्र राजपाल सिह निवास हिसार1 द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (हिसार)
सब रजिस्ट्रार
हिसार

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती /कुमारी महेन्द्र सिह-सत्यप्रकाश-प्रियांस सिंह हाजिर है | प्रतुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों
ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया |दोनों पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती /कुमारीकमलेश वकील पिता --- निवासी हिसार व श्री/श्रीमती /कुमारी राजपाल पिता मोहिन्द्र सिह
निवासी हिसार ने की |
साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार /अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है |

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(हिसार)
सब रजिस्ट्रार
हिसार

2. ट्रस्ट का स्थान : मकान नं0 32, महिन्द्रा इन्कलेव, नजदीक भगतसिंह चौक, आजाद नगर, हिसार, हरियाणा ।

3. स्थान/पद : ट्रस्ट के निम्नलिखित ट्रस्टीज मनोनीत किए हैं जिन्हें ट्रस्ट की नियम व शर्तें पढ़ने के पश्चात ट्रस्टी होने पर अपनी सहमति प्रकट की है। ये ट्रस्टीज जीवन प्रयन्त रहेंगे जो सभी निवासीगण जिला हिसार के हैं:–

1. श्रीमति सन्जू वर्मा पत्नी श्री राजपाल सिंह	:	संस्थापक
2. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदयाल	:	प्रधान
3. श्री सत्यप्रकाश सिंहमार पुत्र गोपीचन्द	:	सचिव
4. श्री प्रियांश सिंह पुत्र श्री भीमसिंह	:	कोषाध्यक्ष

ट्रस्ट के उदेश्य तथा कार्यः–

1. शिक्षा के प्रचार, प्रसार हेतू समाज में हर सम्भव मदद करना ।
2. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण व प्रबंधन करना ।
3. दिव्यांगों को व्यवसायिक पुनर्वास के लिए तैयार करना व उनके लिए प्रशिक्षक तैयार करना ।
4. दिव्यांगों को समाज में उनकी योग्यता व क्षमता अनुरूप सम्मान दिलवाना।
5. सामान्य व्यक्तियों को दिव्यांगों के शिक्षण व पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कोर्स जैसे कि डिप्लोमा इन स्पेशल एज्यूकेशन, बी.एड. इन स्पेशल एज्यूकेशन, एम.एड. इन स्पेशल एज्यूकेशन एंव दिव्यांगों के पुनर्वास सम्बंधित अन्य सभी कोर्सो का संचालन करना ।
6. राज्य एंव केन्द्र सरकार के द्वारा दिव्यांगों हेतू प्रायोजित एंव अनुमोदित योजनाओं की अनुपालना करना व उन्हें लागू करवाकर उन योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना ।
7. दिव्यांगों के प्रति उनके अभिभावकों व समाज को जागरूक करना व दिव्यांग हितैषी कार्यो के लिए उन्हें प्रेरित करना ।

① ② Mohinder Singh ③ ④

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
8202	2021-2022	1

न्यासकर्ता

न्यासी

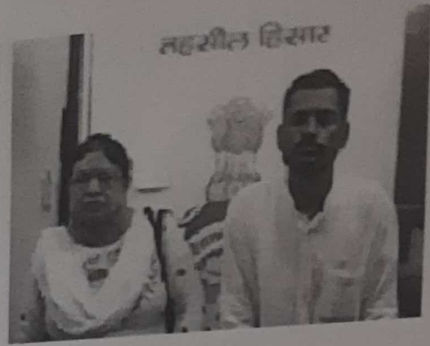

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
सब रजिस्ट्रार हिसार

न्यासकर्ता :- thru सन्जू वर्माOTHER दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट_______

न्यासी :- महेन्द्र सिह-सत्यप्रकाश-प्रियांस सिंह_______

गवाह 1 :- कमलेश वकील _______

गवाह 2 :- राजपाल _______

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 8202 आज दिनांक 23-08-2021 को बही नं 1 जिल्द नं 2 के पृष्ठ नं 75.5 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 47 के पृष्ठ संख्या 11 से 12 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 23-08-2021

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(हिसार)
सब रजिस्ट्रार

8. दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा करने हेतू हर सम्भव प्रयास करना ।
9. शिक्षा के प्रचार हेतू व आंखों का फ्री कैम्प लगवाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाना।
10. अपंग, असहाय, साधनहीन व हर धर्म व जाति के लोगों के लिए भोजन व्यवस्था (नारायण सेवा) करना।
11. बुजुर्ग व्यक्तियों एंव अनाथ बच्चों की हर सम्भव सहायता करना।
12. दिव्यांग व्यक्तियों की उनकी इच्छानुसार शादियां करवाना ।
13. निस्वार्थ सेवा के अन्य अवसरों पर कार्य जो उपरोक्त सूचि में शामिल न हो, करना।
14. यह ट्रस्ट रि–हैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इण्डिया (RCI) व नैशनल ट्रस्ट एक्ट की पालना करते हुए कार्य करेगा ।
15. यह ट्रस्ट RPWD Act 2016 के अंतर्गत कार्य करेगा इसके अलावा भारत के संविधान में अन्य कोई दिव्यांगों के लिए कानून का निर्माण होता है तो उसका भी पालना किया जाएगा ।
16. यह ट्रस्ट UGC, NCTE, SCERT, NCERT, State Edu. Board, Central Edu. Board, व शिक्षा सम्बंधित अन्य निकायों व बोर्डों के अधीन नियमानुसार कार्य करेगा।

ट्रस्ट के ट्रस्टीज को हक होगा कि वे ट्रस्ट के हित के लिए अपने रिश्तेदारों, मित्रों, समाज के अन्य व्यक्तियों, कम्पनियों, चैरिटेबल ट्रस्टों आदि से स्वेच्छापूर्वक दी गई आर्थिक एवं अन्य सहायता को स्वीकार करें, वे सरकार से व गैरसरकारी संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता (चाहे वह चल या अचल सम्पति हो) प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से एकत्रित हुई सहायता धनराशि तथा अन्य प्रकार से प्राप्त हुई राशि ट्रस्ट के नाम पर होगी और वह ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिए खर्च की जाएगी जैसेः–

1. ट्रस्ट के उदेश्यों को पूरा करने।
2. सरकारी बिलों की अदायगी को पूरा करने।
3. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति पर नवनिर्माण व मरम्मत व रख रखाव करने।
4. ट्रस्ट शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक उत्सव करने पर।
5. ट्रस्ट के ट्रस्टीज को ट्रस्ट के उदेश्यों के अन्तर्गत दान करने का हक होगा।

नियम व शर्तें:–

(1) (2) Mohinder Singh (3) (4)

1. ट्रस्ट की एक वर्ष में कम से कम दो मिटिंग करनी आवश्यक होंगी जो कि ट्रस्ट के कार्यालय में ही होगी।
2. ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारीगण जैसे कि संस्थापक व प्रधान, सचिव व कोषाध्यक्ष ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टीयों में से ही चुने जाएंगे जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
3. चुने गए सचिव द्वारा एक प्रस्ताव पुस्तिका रखी जाएगी जिसमें ट्रस्ट बोर्ड की कार्यवाही दर्ज होगी।
4. ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीज आपसी सहमति से समय–2 पर नियम बना सकते हैं व बनाए गए नियमों में बदलाव करके उन्हें लागू कर सकते हैं। लेकिन ये नियम ट्रस्ट के विरूद्ध ना होंगे।
5. ट्रस्ट का खाता ट्रस्टीज की सलाह से एक या एक से अधिक बैंकों में खोला जावेगा जो कि राष्ट्रीयकृत होना जरूरी है। बैंक का खाता खुलवाने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे व संस्थापक व प्रधान में से किसी एक के हस्ताक्षर व दूसरे हस्ताक्षर संस्थापक के बिना कोई रकम बैंक से ना निकलवाई जा सकेगी।
6. ट्रस्ट के संस्थापक, प्रधान, सचिव व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के लिए कर्मचारी नियुक्त करने व हटाने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा।
7. कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के उदेश्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त की गई आर्थिक सहायता व खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब रोकड़ बुक लेजर रजिस्टर में दर्ज करेंगे व साफ सुथरा हिसाब किताब रखेंगे।
8. ट्रस्ट की आय–व्यय का हिसाब प्रति वर्ष 31 मार्च तक बनाया जाएगा।
9. कोई भी ट्रस्टी किसी भी समय बिना किसी कारण के सेवा निवृत हो सकेगा बशर्ते उसका त्यागपत्र ट्रस्टीज के बहुमत से स्वीकृत हो।
10. मास के अन्त में संस्थापक, प्रधान, सचिव व कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर रोकड़ रजिस्टर पर होंगे।
11. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति की बैलेन्स शीट प्रत्येक वर्ष बनाई जाएगी जो ट्रस्ट की सम्पति रजिस्टर में दर्ज होगी।
12. ट्रस्ट के लेखे का ऑडिट किसी चार्टर्ड एकाउंटैन्ट द्वारा करवाया जाएगा व जिसकी रिर्पोट ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ट्रस्ट बोर्ड के तीन ट्रस्टी लिखित आवेदन देने पर ट्रस्ट के सचिव को आवश्यक मिटिंग बुलानी होगी।
13. ट्रस्ट बोर्ड की मिटिंग में तीन सदस्य उपस्थित होने पर कोरम संख्या पूरी समझी जावेगी तथा मिटिंग की कार्यवाही शुरू की जावेगी।
14. प्रधान ट्रस्ट बोर्ड की कार्यवाही का संचालन करेगा।

15. मिटिंग में प्रधान के ना आने पर सचिव मिटिंग का संचालन करेगा। इसी प्रकार सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष कार्यवाही को दर्ज करेगा। उपरोक्त सभी ट्रस्टीयों की अनुपस्थिति में उपस्थित ट्रस्टीयों द्वारा कार्यवाही चलाने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करेंगे।

16. सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। बराबर मत होने पर प्रधान को कास्टिड वोट देने का अधिकार होगा।

17. ट्रस्टी ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति को बेच ना सकेंगे। लेकिन चल सम्पति को सभी ट्रस्टीयों के बहुमत के आधार उसे बेच या बदल सकते हैं।

18. अगर कोई ट्रस्टी या अन्य कोई बाहरी व्यक्ति ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति को हानि पहुंचाएगा तो वह ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति देने का बाध्य होगा।

19. अगर किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाए, पागल, दिवालिया हो जाए उस दशा में उस ट्रस्टी के स्थान पर ट्रस्ट बोर्ड को पूर्ण बहुमत से नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

20. कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट की सूचना को बाहर ऑडिट नहीं करेगा, केवल प्रधान व सचिव को ही प्रैस नोट देने का अधिकार होगा।

21. ट्रस्ट का अपना कार्यालय होगा जिसमें ट्रस्ट का तमाम रिकार्ड व सामान होगा।

22. एक बार जो प्रस्ताव पारित किया जाता है अगर उसको बदलने की जरूरत पड़ती है तो उसमें 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा।

23. ट्रस्ट बोर्ड किसी कार्य को करने के लिए अपने सदस्यों की उपसमितियां बनाने का अधिकारी होगा तथा यह उपसमितियां उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

24. अगर कोई ट्रस्टी ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति को जानबूझ कर हानि पहुंचाता है और ट्रस्टीयों द्वारा समझाने पर भी नहीं समझता है तो बकाया ट्रस्टी ट्रस्ट बोर्ड की मिटिंग में 2/3 बहुमत या सर्वसम्मति से उस ट्रस्टी की सदस्यता समाप्त करने के अधिकारी होंगे।

25. ट्रस्ट के ट्रस्टीज द्वारा 2/3 बहुमत अथवा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा जो सर्वमान्य होगा। कुछ निर्णय के विरूद्ध अदालत में कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। कोई भी अदालती कार्यवाही ट्रस्ट के द्वारा की जा सकेगी।

इस ट्रस्ट डीड/न्यास प्रलेख को आज दिनांक 23 अगस्त 2021 को इस न्यास के ट्रस्टीयों/पदाधिकारियों ने अधोहस्ताक्षरित साक्षियों के सम्मुख लिखवा दिया है ताकि प्रमाण रहे तथा आवश्यकतानुसार यह प्रलेख काम आवे।

(1) (2) Mohinder Singh (3) (4)

इस प्रलेख को ट्रस्टीयों/पदाधिकारियों ने पढ़ लिया है तथा इसमें ऊपर लिखित विवरण को पढ़ व समझ कर सहीं माना व स्वीकार कर साक्षीगणों के सम्मुख अपने-अपने हस्ताक्षर कर दियें है।

नाम		हस्ताक्षर
1. श्रीमति सन्जू वर्मा पत्नी श्री राजपाल सिंह निवासी म0नं0 62, महिन्द्रा इन्केलव, आजाद नगर, हिसार	:	[signature]
2. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदयाल निवासी म0नं0 22, महिन्द्रा इन्केलव, आजाद नगर, हिसार	:	Mohinder Singh
3. श्री सत्यप्रकाश सिंहमार पुत्र गोपीचन्द निवासी गांव गंगवा तहसील व जिला हिसार	:	[signature]
4. श्री प्रियांश सिंह पुत्र श्री भीमसिंह म0नं0 22, महिन्द्रा इन्कलेव, आजाद नगर, हिसार	:	[signature]

गवाह नं0 01 [signature]
राजपाल सिंह
H.No.- 62 महेन्द्रा इनक्लेव
आजाद नगर, हिसार

गवाह नं0 02 [signature]
श्रीमती ... Adv.
Adv. HISAR

SUB REGISTRAR HISAR

(1) [signature] (2) Mohinder Singh (3) [signature] (4) [signature]

SUB REGISTRAR HISAR